तत्काल निर्गम हेतु

विश्व बैंक

संपर्क: दिल्ली में: गीतांजलि चोपड़ा (91 11) 2461-7241
ईमेल : gchopra@worldbank.org
वाशिंगटन में: करीना मनेस्साह (202) 473-1729
ईमेल : kmanasseh@worldbank.org

विश्व बैंक भारत में सूनामी प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगा

विश्व बैंक ऋण से तमिलनाडु और पाँडिचेरी में आवास पुनर्निर्माण तथा जीविका की बहाली के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी

वाशिंगटन, 3 मई, 2005—आज भारत को तमिलनाडु और पाँडिचेरी में, जो दिसंबर, 2004 की एशियाई सूनामी से विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं, पुनर्निर्माण और समुत्थान प्रयासों के लिए 465 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त हुआ है। यह भारत में सूनामी समुत्थान कार्यों के लिए विश्व बैंक द्वारा 528.5 मिलियन अमेरिकी डालर की समग्र सहायता का एक हिस्सा है।

आपातकालीन सूनामी पुनर्निर्माण परियोजना से उम्मीद है कि यह तमिलनाडु एवं पाँडिचेरी में लगभग 140,000 क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण में मदद करेगी और सार्वजनिक इमारतों के पुनर्निर्माण, मछली–पालन एवं कृषि के क्षेत्रों में जीविका की बहाली, तथा आवास निर्माण एवं तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करेगी। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि इस परियोजना में संवेदनशीलताओं का पुनर्निर्माण नहीं करने के लिए सरकार की वचनबद्धता पर ध्यान दिया गया है।

26 दिसंबर, 2004 की सूनामी ने, जो रिच्टर स्केल पर 9.0 की तीव्रता वाले भूकंप का परिणाम थी, भारत, श्री लंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालद्वीव सहित अनेक देशों के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारत में इसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप के गैर–तटीय संघशासित क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं पाँडिचेरी संघशासित क्षेत्र में मुख्य तटीय सीमा की लगभग 2,260 किलोमीटर की दूरी में भारी नुकसान पहुंचाया था। इस आपदा से लगभग2.7 मिलियन व्यक्ति प्रभावित हुए थे। उनमें से अधिकांश मछली–पालन (80 प्रतिशत) करते थे, जबकि शेष कृषि (15 प्रतिशत) और लघु एवं सूक्ष्म–उद्यमों (5 प्रतिशत) पर आश्रित थे। इस आपदा ने उन लोगों की जीविका को सर्वाधिक प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया था जो पहले से ही गरीब थे तथा इसने तटीय समुदायों की संवेदनशीलता को भी बढ़ाया है।

भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर माइकल कार्टर का कहना है,“मारे गए व्यक्तियों तथा खासतौर पर गरीब लोगों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के मायनों में सूनामी द्वारा तबाही की कोई भी धन राशि अथवा मदद भरपाई नहीं कर सकती है। बैंक, व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए भारत सरकार एवं अन्य विकास भागीदारों के साथ गहन समन्वय द्वारा कार्य कर रहा है जैसे कि विकास के सभी पहलुओं पर आगे ध्यान देने के लिए यह परियोजना जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि संवेदनशीलताओं का पुनर्निर्माण नहीं हो।’

इस परियोजना में पांच घटक शामिल हैं:

- आवास : यह घटक यथाअपेक्षित पारवहन आश्रयों की व्यवस्था तथा अस्थायी आश्रयों में सेवाओं के उन्नयन; मौजूदा मकानों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, नए मकानों का निर्माण तथा अपेक्षित सम्बद्ध सेवाओं तथा पहुंच सड़कों, जल आपूर्ति, शौचालयों, तूफानी नालियों, विद्युतीकरण तथा सीमित सामुदायिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसी सामुदायिक अवसंरचना; और प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए धन की व्यवस्था करेगा।

- जीविका की बहाली : यह घटक मछली-पालन के क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली, कृषि एवं बाग-कृषि की क्षतिग्रस्त भूमि की बहाली, तथा क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत के माध्यम से प्रभावित परिवारों की जीविकाओं का पुनर्निर्माण करने में सहायता करने वाली गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था करेगा।

- सार्वजनिक भवन एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य : यह घटक छोटे सार्वजनिक कार्यों जैसे अस्पतालों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप-केंद्रों, शैक्षिक संस्थानों, चक्रवात आश्रयों, एवं अन्य सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा उन्नयन के लिए धन की व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करेगा। यह घटक नदियों एव नालियों के क्षतिग्रस्त तटों, तथा तमिलनाडु में कच्ची वनस्पति एवं आश्रय पट्टियों के दुबारा पौधारोपण के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

- तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण : यह घटक आवास पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करेगा जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, भूमि प्रबंधन के संबंध में सेवाएं, पुनर्स्थापन क्षेत्रों की नक्शे तथा संबंधित अवसंरचनाओं के नक्शे तैयार करना शामिल है।

- क्रियान्वयन सहायता : यह घटक परियोजना प्रबंधन एवं परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी वर्धमान कार्य लागत के लिए धन की व्यवस्था करेगा जिसमें वित्त लेखापरीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन तथा तकनीकी लेखापरीक्षा, परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन, तथा सतत सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है।

विश्व बैंक के वरिष्ठ सैनिटरी इंजीनियर श्यामल सरकार के शब्दों में,"हालांकि प्रस्तावित परियोजना के कई घटक प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को लाभ पहुंचाते हैं, फिर भी सरकार के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की अंतर्निहित वचनबद्धता यह है कि इसे विकास के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैंक, प्रभावित लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने तथा सामान्यतः तटीय समुदायों की संवेदनशीलताओं का निवारण करने के लिए भी पूरे क्रियान्वयन के दौरान पुनर्निर्माण प्रयास में शामिल सभी एजेंसियों तथा अन्यों के गहन सहयोग पर निगरानी रखेगा।"

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 682.8 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें आकस्मिकताएं शामिल हैं। इसमें से 465.0 मिलियन अमेरिकी डालर, या कुल लागत के लगभग 68 प्रतिशत के लिए आई.डी.ए. वित्त व्यवस्था का प्रस्ताव है। आई.डी.ए. की मानक शर्तें लागू हैं जिसमें 0.75 प्रतिशत का सेवा शुल्क और 35 वर्ष की परिपक्वता लागू होती है। शेष राशि की व्यवस्था भारत सरकार, तमिलनाडु और पाँडिचेरी द्वारा की जाएगी।

इस परियोजना के अलावा, विश्व बैंक सूनामी आपदा समुत्थान गतिविधियों के लिए धन व्यवस्था हेतु 63.5 मिलियन अमेरिकी डालर की अतिरिक्त राशि भी प्रदान करेगा। वर्तमान आई.डी.ए. ऋणों से

आंध्र प्रदेश में अनिवार्य पुनर्निर्माण गतिविधियों (40 मिलियन अमेरिकी डालर) और केरल में ग्रामीण जल आपूर्ति की आवश्यकताओं (10 मिलियन अमेरिकी डालर) के लिए धन व्यवस्था में सहायता मिलेगी। तमिलनाडु में सड़क क्षेत्र की आवश्यकताओं (11 मिलियन अमेरिकी डालर) को आंशिक रूप से वर्तमान आई.बी.आर.डी. ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर की एक न्यास निधि कुछ गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करेगी जो सूनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम की भाग हैं और उससे संबंधित हैं।

भारत सरकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप में समुत्थान प्रयासों के लिए प्रत्यक्ष रूप से धन व्यवस्था कर रही है।

भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों की अधिक जानकारी हेतु निम्न पते पर विज़िट करें
http://www.worldbank.org.in/

इस परियोजना की अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर विजिट करें
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P094513